न्यायालय : पंचम अपर सिविल जज, सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 देहरादून
प्रकीर्ण वाद सं0 – 2140/2026
स्वामी सुरेशानन्द गिरी बनाम श्री प्रशांत उर्फ संजू एवं अन्य।

धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0
थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

प्रार्थी अधिवक्ता –श्री उमेश अरोड़ा।
दिनांक : 12.08.2026

पत्रावली पेश पर वाद पुकारा गया। प्रार्थना पत्र अर्तगत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। आदेश हुआ किः–

निस्तारण प्रार्थना पत्र धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में कथन हैं कि वह महंत धर्मगिरी जी एक बीमार मि. हला आयु लगभग 98 वर्ष, रूदेश्वर महादेव मन्दिर, मंगुवाला, नालापानी तपोवन थाना रायपुर, देहरादून के महन्त है। प्रार्थी उपरोक्त महंत जी का शिष्य है और कई वर्षो से उनकी देखभाल कर रहा है। वर्ष 2023 में दौरान महन्त जी को प्रार्थी द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया और उसके बाद उन्हें उपरोक्त मन्दिर परिसर में वापस लाया गया। तत्पश्चात् विपक्षीगण ने मिलीभगत कर मन्दिर और बुजुर्ग महन्त के मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और उन्हें उनसे मिलने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से प्रभावी रूप से अलग कर दिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य उक्त आश्रम की सम्पूर्ण सम्पत्ति, दान और परिसम्पत्तियों पर कब्जा करना था। जब भी प्रार्थी द्वारा महन्त धर्मगिरी जी से मिलने या उन्हें सहायता प्रदान करने का प्रयास किया तो उसे गम्भीर परिणामों की धमकी दी गई। उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी ने थानाध्यक्ष रायपुर, एस0एस0पी0 देहरादून तथा अन्य अधिकारियों को शिकायत की गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अंत में प्रार्थी द्वारा जिलाधिकारी से सम्पर्क किया और उनके द्वारा डी0जी0सी0, सिविल देहरादून से रिपोर्ट मांगी। डी0जी0सी0 सिविल, देहरादून ने राय दी कि मामला गम्भीर प्रकृति का है और विपक्षीगण के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। जिलाधिकारी द्वारा एस0एस0पी0, देहरादून को उक्त सिफारिश भेजे के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः थानाध्यक्ष रायपुर, देहरादून को निर्देशित किया जाए कि वह उचित धाराओं के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे की याचना की गई।

3. प्रार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, जिलाधिक. ारी, एस0एस0पी0, देहरादून, डी0जी0पी0 को प्रेषित पत्र की छायाप्रतियां आदि प्रपत्र दाखिल किए गए है।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना रायपुर देहरादून से आख्या तलब की गई। पुलिस थाना की आख्यानुसार दोनों पक्षों में मन्दिर के आधिपत्य को लेकर आपसी विवाद चल रहा है, जोकि सिविल प्रकृति का है। थाने पर उक्त मामले से सम्बन्धित कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होने का कथन किया।

5. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी महंत धर्मगिरी जी का शिष्य है और कई सालों से उनकी देखभाल कर रहा है। वर्ष 2023 में प्रार्थी द्वारा महंत धर्मगिरी जी को मेडिकल उपचार हेतु ले जाया गया और उसके उपरान्त मन्दिर वापस लाया गया। उसके बाद विपक्षीगण ने मन्दिर के क्रिया कलापों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और महन्त धर्मगिरी जी को किसी से मिलने नहीं दिया। विपक्षीगण महन्त धर्मगिरी जी पर प्रभाव डालकर मन्दिर की सम्पत्ति को हड़पना चाहते है। जब भी प्रार्थी ने महन्त धर्मगिरी जी से मिलने का प्रयास किया तो उसे धमकी दी गई।

7. न्यायालय के मत में प्रस्तुत मामला मन्दिर की सम्पत्ति को लेकर है, जोकि सिविल प्रकृति का मामला प्रतीत होता है जिसे आपराधिक मामला बनाया जा रहा है और संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनाना प्रतीत नहीं होता है। उक्त मामले में अन्वेषण कराए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः 175(3) बी0एन0एस0एस0 खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी स्वामी सुरेशानन्द की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः 175(3) बी0एन0एस0एस0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(भारती मंगलानी)
ए.सी.जे.एम./पंचम अपर सिविल जज(एस.डी.),
देहरादून।